

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/अका0/पाठ्यक्रम/2022/898

दिनांक : 20.08.2022

## अधिसूचना

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(2) के अन्तर्गत कुलपति द्वारा अंग्रेजी अध्ययन मण्डल का गठन निम्नानुसार किया गया है।


अधिनियम की धारा	नाम निर्देशित सदस्य का नाम
28(2)एक	1. रिक्त
28(2)दो	1. डॉ0 आर0पी0 सिंह (प्राध्यापक) शा0 एस0एल0पी0 महा0 ग्वालियर। 2. डॉ0 अर्चना अग्रवाल (प्राध्यापक) शा0 एम0एल0बी0 उत्कृष्ट महा0 ग्वालियर।
28(2)तीन	1. रिक्त
28(2)चार	1. डॉ0 रविकान्त सिंह (सहा0प्राध्यापक) शा0 एम0जे0एस0 पी0जी0 महा0 भिण्ड। 2. डॉ0 संजय सिंह रस्तोगी (सहा0 प्राध्यापक) माधव महाविद्यालय, ग्वालियर।
28(2)पाँच	1. डॉ0 मुकेश शर्मा (प्राध्यापक) शा0 कन्या महाविद्यालय मुरैना। 2. डॉ0 चारु चित्रा (प्राध्यापक) शा0 के0आर0जी0 स्वशासी महा0 ग्वालियर।

अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत कुलपतिजी द्वारा डॉ0 आर0पी0 सिंह (प्राध्यापक) को उक्त अध्ययनमण्डल का अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अध्ययनमण्डल का कार्यकाल दिनांक-01 अगस्त 2022 से तीन वर्ष तक रहेगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अंग्रेजी अध्ययनमण्डल के समस्त सदस्यों की ओर।
2. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव(गोपनीय/अकादमी/परीक्षा), जी0वि0वि0, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. इंचार्ज, सभा शाखा, /शोध शाखा, अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

  
उप-कुलसचिव(अकादमी)